प्रकरण संख्या 56/2016 मांगीलाल बनाम मोहनलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.07.2018	वकील .....। प्रकरण में समायत शुदा बहस व पत्रावली पर मनन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अन्तिम डिक्री दिनांक 21.02.2011 को जारी की गयी है, जिसकी अपील अपीलान्ट द्वारा दिनांक 28.09.2016 को इस न्यायालय में पेश की गयी है। अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन व शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अतएवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 4 की ओर से वकील श्री एल.एल. भांभी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट के प्रमुख उजर हस्ब न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689, आर.आर.टी. 2014 (1) पेज 258, आर.आर.टी. 2011–12 (Supp.) पेज 698 अनुसार बंटवारा रेवेन्यू रूल्स 18 से 21 की पालना में करना होता है तथा तहसीलदार स्वयं को मौके पर उपस्थित होकर पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार करना होता है, अन्यथा बंटवारा मान्य नहीं होता है। उपरोक्त न्यायिक नजीरों के आलोक में यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री के बरूऐ तहसीलदार द्वारा फर्द बंटवारा तैयार नहीं किया गया है, बल्कि पटवारी द्वारा तैयार किया जाकर तहसीलदार द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है, जो स्पष्टया राजस्व मण्डल के न्यायिक नजीर आर.आर.टी. 2017 (1) पेज 689 के बरूऐ त्रुटि पूर्ण है। अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.02.2011 अपास्त की	

जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21 की पालना में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय को भिजावें तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उभयपक्षों को आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर देकर, यदि कोई आपत्तियां हैं तो उनका विधिक निस्तारण कर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 01.10.2018 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

प्रकरण संख्या 56/2016 मांगीलाल बनाम मोहनलाल व अन्य